राजस्थान विश्वविद्यालय के दुर्घटना में घायल छात्र को 50 हजार की सहायता, मृत्यू होने पर परिजनो को 06 लाख 50 हजार रू. की सहायता का प्रावधान।

जयपुर– 24 दिसंबर। राजस्थान विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अपने किसी भी छात्र कि किसी दुर्घटना या आपदा मैं घायल होने की स्थिति में उसे पचास हज़ार की राशि चिकित्सकीय उपचार के लिए उपलब्ध करवाएगा, यदि दुर्घटना उपरांत उपचार या उपचार से पूर्व छात्र की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिजनों को छ लाख पचास हज़ार की राशि सहायता के रूप मे राजस्थान विश्वविद्यालय इस वर्ष प्रदान करेगा |

राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराजा, महारानी, कॉमर्स वह राजस्थान कॉलेज सहित दोनों लॉ कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के **37** पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले कुल **28000** विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा**|**

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजीव जैन के निर्देशों के उपरान्त आज इस योजना के संबंध में यूनाइटेड इंण्डिया इंन्स्योरेंस कम्पनी के साथ हुऐ समझौते पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कजोड मल दूडिया ने हस्ताक्षर किऐ। विगत वर्ष मृत्यू की स्थिति में यह सहायता राशि 06 लाख रूपए थी, जिसमे 50 हजार रू. की वृद्धि इस वर्ष की गई है।

पूरे भारतवर्ष में राजस्थान विश्वविद्यालय मे सर्व प्रथम लागू की गई इस योजना के तहत अब तक विश्वविद्यालय अपने घायल व दुर्घटना में मृत छात्रों के परिजनों को एक करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करवा चुका है |

राजस्थान विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉ भूपेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राज्य में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं व अन्य घटनाओं मैं अपने परिवारों के लाडले वह निर्दोष युवाओं की मृत्यु एवं गंभीर रूप से घायल होने के भयावह आंकड़े को दृष्टिगत रखते हुए अपने एक व्यापक अध्ययन के बाद पूरे देश में अभिनव रूप से तैयार की गई छात्र दुर्घटना सहायता योजना के आधार पर यह सहायता विश्वविद्यालय के पीड़ित छात्रों को उपलब्ध करवाई जा रही है |

यदि आपका कोई रिश्तेदार परिचित या अन्य जानकार जो राजस्थान विश्वविद्यालय या ऊपर वर्णित कॉलेजों में पढ़ रहा है और यदि वह किसी दुर्घटना या संकट का शिकार होता है तो वर्णित सहायता के लिए तुरंत विश्व विद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता या विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय फोन0141- 2708 614 या 9413343291 इसकी सूचना दे सकता है|

जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र दुर्घटना सहायता योजना के संबंध में आज हुई सहमति के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजीव जैन यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी रघुनाथ सिंह मीणा को चैक भेंट करते हुऐ।